Impact Factor (SJIF): 4.714 E-ISSN: 2583-1615

International Journal of Research in Academic World

Received: 25/December/2022 IJRAW: 2023; 2(1):189-197 Accepted: 18/January/2023

महिला यौन कर्मी और उनका नागरिक जीवनरू कबाड़ी बाजार मेरठ का एक अध्ययन

[*1]Manoj Kumar

[*1]Centre for Women's Studies, Department of Sociology, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India.

सारांश

सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ वेश्यावृत्ति का भी पूरी दुनिया में चरम उभार हो चुका है। उत्तर-आधुनिक समाज में वेश्यावृत्ति (यौन कार्य) के अलग-अलग रूप भी सामने आए हैं। लाल बत्ती क्षेत्रों से निकल कर वेश्यावृत्ति अब मसाज पार्लरों एवं एस्कार्ट सर्विस के रूप में भी फल-फूल रही है। देह का धंधा कमाई का चोखा जरिया बन चुका है। गरीब और विकासशील देशों जैसे भारत, थाइलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि में सेक्स पर्यटन का चलन शुरू हो चुका है । वेश्यालय आधारित यौन कार्य यौन श्रम का एक ऐसा स्थान है, जो कि पुराने मेरठ शहर का भाग हैं, जो की तीन वर्ष पूर्व पूरी तरह से बंद कर दिया गया और यहाँ पर कार्यरत महिला यौनकर्मियां नई अस्मिता की तलाश में यहाँ से दूसरी जगह चली गयी। यहाँ पर काम करने के (दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद और पहले), महिला यौन कर्मीयों और इनके बच्चों के लिए किस तरह के नागरिक अधिकार प्राप्त हो रहे थे और उनकी सुरक्षा किस तरह हो रही थी, जैसे कि–उनको सम्पत्ति रखने का अधिकार, शोषण के खिलाफ विरोध करने का अधिकार, समाज में समानता का अधिकार, मनपसंद खानपान, कपड़े, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाओं का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनेतिक पार्टी या कोई संस्था, संघ अथवा यूनियन बनाने का अधिकार, कहीं भी जमा होने या आने-जाने का अधिकार, यह कार्य छोड़कर अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए अन्य श्रम एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण इनके लिए किस प्रकार से हो रहा है, को विश्लेषण करने का प्रयास किया हैं। यह यौन श्रमिक अपना जीवन निर्वाह करती हैं, शौध पत्र में यह समझने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान के गणतंत्र भारत में इस जगह उनका नागरिक रहन सहन और दैनिक जीवन किस प्रकार चलता है।

मूल शब्दः महिला यौन कर्मी, यौन श्रम, देहव्यापार, दलाल, ग्राहक, नागरिकता, समाजवाद आदि

प्रस्तावना

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को (जिसमें कि वेश्यालय आधारित महिला यौन कर्मी भी आती हैं): सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की और एकता अखंडता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई० "मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियिमत और आत्मार्पित करते हैं।" ऐसी धारणा हमारे भारतीय संविधान की है कि भारत के सभी नागरिक एक समान हैं और किसी के भी मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव कही किया जाएगा इसी सन्दर्भ में मेरठ के कबाड़ी बाजार रक्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के जन जीवन को समझने का प्रयास किया गया है उन महिलाओं को जो कि भारत की नागरिक हैं और यौन कर्मी भी हैं तब उनके नागरिक होने के कौन से अधिकार उनको प्राप्त हो रहे हैं, जबकि भारतीय संविधान सभी को समान नागरिक मानता हैं।

भारतीय समाज और दुनिया में महिला यौन-कर्मियों को हिंसा से बचाने के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों, नीतियों और निययों की सहमति एवं असहमति के आधार पर अधिकांश महिला यौन कार्य में जुड़े कार्यकर्ताओं को मुख्य रूप से तीन वर्गो में बांटा जा सकता है जो कि इस प्रकार हैं उन्मूलनवाद, आपराधिकरण और वैधानिकता अथवा गैर-अपराधीकरण है। जब हम शुरूआती दौर के समाज सुधारकों और विचारकों के विचारों की चर्चा करते हैं, तो पाया जाता है कि उन्होंने अपने विचारों के अ नुसार मासूम महिलाओं की काम वासना को ही वेश्यावृत्ति की मुख्य समस्या के रूप में पहचाना है, उनके अनुसार महिलाओं की कामुकता की तीव्र लालसा ही उन्हें एक वेश्या की नारकीय जिन्दगी में घुसने पर मजबूर किया हैं। अतः उन्मूलनवादियों के दृष्टिकोण में यह विश्वास पाया जाता है कि वेश्यावृत्ति एक शोषणकारी व्यवस्था है, जो कि इसमें शामिल महिलाओं के लिए यथार्थ रूप से अहितकारी है। इस प्रकार शुरूआती दौर के समाज सुधारकों और विचारकों का मानना है कि अगर महिलाओं को यौन कार्य में होने वाली हिंसा और अत्याचार से बचाना है, तो महिला यौन-

***Corresponding Author:** Manoj Kumar

कर्मियों के ग्राहकों, दलालों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि इस पूरी व्यवस्था को ही ध्वस्त किया जा सके। इसी के साथ इस सिद्धांत के विरोधियों का मानना है कि यह महिला सशक्तिकरण से परे है, और एक पिता की भूमिका वाला व्यवहार सावित होगा, क्योंकि यह उन्मूलनवादी दृष्टिकोण का निर्माण ही एक ऐसी पृष्ठभूमि पर हुआ है जिसके अनुसार महिलाओं को समाज में अभागिन और शिकार पीड़ित की तरह समझा जाता है। वहीं वेश्यावृत्ति को एक गैर-कानूनी काम मानने वाले समर्थकों का कहना है, कि महिलाओं को आपसी हिंसा से बचाने के लिए महिला यौन-कर्मियों और ग्राहक दोनों को ही दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि वही लोग यौन-क्रिया की खरीद-बिक्री में शामिल होते हैं।

कबाडी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र एक परिचय

कबाडी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र मेरठ शहर के लगभग बीच में स्थित हैं। यह क्षेत्र एक चौराहे की तीन सड़कों में फैला हुआ हैं। यहाँ पर महिला यौन कार्य सड़क के दोनों तरफ स्थित दुकानों के प्रथम तल पर चलता हैं। भू-तल स्थित दुकानों में परचुन का सामान, पुराने कबाड़े का समान, जनरल स्टोर, दाल मण्डी, जूते चप्पल आदि की दुकानें हैं। लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार के चौराहे की चारों सड़के मेरठ के अन्य बाजारों व रियाहसी क्षेत्रों से होती हुई राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ती हैं। यह क्षेत्र मेरठ के प्रसिद्व पुराने बाजार हैं, जिसे पुराना मेरठ के नाम से भी जाना जाता है। बाजार के बायीं तरफ वेली बाजार व दायी तरफ देवीपुरी व बृहम्पुरी रियाहसी क्षेत्र हैं, जिसमें दैनिक उपयोग की समस्त सामान की दुकानें उपलब्ध हैं। इन दोनों रियाहसी कोलनियों में स्लम्स अत्याधिक संख्या में रहते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर से श्यामनगर, तारापुरी, माधोपुरम आदि स्लम्स क्षेत्रों के निवास के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों कोलनीयों से यह क्षेत्र लगा हुआ हैं। इस लाल बत्ती क्षेत्र के पास घंटाघर और सुभाष बाजार हैं, जिसकें पास एक धर्मशाला हैं। कबाड़ी बाजार के पास एक राष्ट्रीय राजमार्ग-14 गुजरता है, जो कि दिल्ली और मेरठ बिजनौर को जोडता है। कबाड़ी बाजार लाल बत्ती क्षेत्र के अध्ययन से पता चला कि इन कोठो की इमारते काफी पुरानी व जर्जर हैं। जब मुख्य सूचनादाता (Key Informants) से पूछा तो बताया कि यह इमारतें अंग्रेजी शासन काल में बनी थीं, किन्तु मेरठ शहर में वेश्यालय आधारित वैश्यावृत्ति मुस्लिम शासन काल मेरठ शहर के लालकुर्ती स्थान में हुई थी, किन्तु जब लालकुर्ती जगह की आबादी अधिक हो गयी और यह स्थान शहर के मध्य में आ गया तो अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रजों ने इसको लालकुर्ती से विस्थापित करके शहर से दूर कबाड़ी बाजार में स्थापित कर दिया। वर्तमान समय में इन कोठों के फर्श पक्के व छते अधिकतर पुराने समय की पत्थर की बनी हैं। कुछ छतें हाल ही में पक्की करा दी गई हैं। इन कोठों का रास्ता सड़क से सीधा सीढीयों से होकर ऊपर जाता हैं। यहाँ पर इन कोठों की सख्यां लगभग 60 हैं, जिनमें से कुछ कोठे अभी बिल्कुल बंद हैं जिन पर अब महिला यौन कार्य नहीं किया जाता है। इन कोठों का रास्ता सीधे सड़क से सीढीयों द्वारा एक बडे बरामदे में जाकर खुलता हैं। यह बरामदा सामने सड़क की तरफ खुला हुआ हैं जिसमें लगभग 20 से 30 के मध्य महिला यौन कर्मी हमेशा खड़ी या बैठी रहती थी।

महिला यौन कार्य और उसके कानूनीकरण के विभिन्न पहलु

भारत में महिला यौन कार्य के कानूनीकरण की रणनीतियों में महिला यौन कार्य से संबंधित तीन प्रकार की कानूनी व्यवस्था को तेयार और लागू किया गया है। जो कि समाज में अपने प्रभाव एवं औचित्य के चलते एक दूसरे से काफी अलग प्रतीत होते हैं। इस व्यवस्था को अपराधीकरण, गैर-अपराधीकरण और वैधीकरण में विभाजित किया गया जिसे क्रमशः मद्यनिषेधवादी व्यवस्था, सहिष्णुतावादी व्यवस्था एवं वैध वेश्यावृत्ति के नाम से भी जाना जाता है।

अपराधीकरण व्यवस्था का उद्देश्य महिला यौन कार्य रूपी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए इससे जुड़े अपराधिक प्रतिबंधों में बदलाव लाना है, और आपराधिक कानूनों में संशोधन कर समाज में इसकी छवि में परिवर्तन लाना है। यह व्यवस्था महिला यौन कार्य को अनैतिक समझता है और इस व्यवस्था का उद्देश्य महिला यौन कार्य का संपूर्ण उन्मूलन करना है, एवं यह व्यवस्था महिला यौन कार्य से जुड़े सभी पहलुओं को जैसे-कोठे के मालिकों, महिला यौन-कर्मियों के दलालों, महिला यौन-कर्मियों के पुरुष ग्राहकों, महिलाओं या लड़कियों के सप्लायर्स और महिला यौन कर्मी सभी को और इनके कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखता है।

गैर-अपराधीकरण व्यवस्था के तहत महिला यौन कार्य को ना तो एक अपराध और ना ही इसको एक कानूनी रूप से वैध श्रम माना जाता हैं। इस कार्य को दो व्यस्क व्यक्तियों की आपसी सहमति से किया जाने वाला काम माना गया है, जहां पर राज्य सिर्फ जबरन महिला यौन कार्य में दखल दे सकता है। राज्य इन महिला यौन-कर्मियों के लिए उनके अत्यधिक शोषण एवं उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सिर्फ कुछ उपाय ला सकता हैं। दरअसल यह व्यवस्था महिला यौन कार्य को समाप्त नहीं करना चाहती है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य महिला यौन कार्य को करने हेतु, कोठे अथवा वेश्यालय में रखे जाने के लिए महिलाओं, यौन-कर्मियों की दलाली करने वाले व्यक्तियों, यौन कार्य करने अथवा उसको करवाने के लिए किसी के द्वारा जगह हासिल करने वालों के लिए और महिलाओं एवं लड़कियों की तरस्करी रोकना ही, इस व्यवस्था का उद्देश्य हैं। इस व्यवस्था में महिला यौन-कर्मियों को अपने काम के लिए अपराधी नहीं माना जाता है और इसमें देश के हर नागरिक की तरह उनके भी अधिकार शामिल होते हैं।

गैर-अपराधीकरण व्यवस्था के तहत महिला यौन-कर्मियों को पुलिस उत्पीड़न से बचाकर उनके काम को जारी रखने में मदद करेगा। भारत में आज भी पुलिस उत्पीड़न महिला यौन-कर्मियों के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी क्रम Prabha Kotishwaran अपना यह मत रखती हैं कि महिला यौन कार्य में शामिल पुरुषों एवं महिलाओं की कुछ समस्याओं का यह (गैर-अपराधीकरण व्यवस्था) कम से कम एक आंशिक समाधान माना जा सकता है, किन्तु गैर-अपराधीकरण व्यवस्था महिला यौन कर्मीयों के अधिकारों की रक्षा एवं कोठे मालिकों को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराने का एक तरीका है। महिला यौन कार्य से संबंधित महिला यौन-कर्मियों को छोड़कर हर किसी को दण्डित करने का यह तरीका महिला यौन-कर्मियों के हितों के विपरीत ही काम करता है। सुधारात्मक अथवा पुर्नवास गृहों की मरम्मत में बदलाव के साथ-साथ महिला यौन-कर्मियों से मैथुनिक समर्थन की मांग करने वाले भ्रष्ट पुलिस एवं न्यायायिक अधिकारियों के साथ सख्त तरीके से निपटने के साथ इनको दण्डित करने की आवयश्कता महसूस होती है।

वैधीकरण अथवा कानूनीकरण व्यवस्था के तहत महिला यौन कार्य को कभी कभी नियंत्रित करने के प्रयास किये जाते रहे हैं, महिला यौन-कर्मियों और उनके श्रम के स्थान वेश्यालयों को अनुज्ञप्ति पत्र जारी करने के साथ रजिस्टर करने के प्रयास भी किए जाते रहे हैं। इसके तहत महिला यौन-कर्मियों की निगरानी और उनको इस श्रम के दौरान ग्राहकों के संपर्क में आने से होने वाले यौन रोगों की जाँच भी करने के प्रयास किये जाते रहे हैं, इन सब के पीछे यह धारणा है कि महिला यौन कार्य पुरुष ग्राहकों और महिलाओं के विभिन्न मैथुनिक जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। इसी के साथ गैर-अपराधीकरण व्यवस्था का समर्थन करने वालों का मानना है, कि महिला यौन-कर्मियों के और अन्य दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए इस कार्य पर नियंत्रण आवश्यक है। गैर-अपराधीकरण व्यवस्था महिला यौन कार्य को खासकर बन्द घरों वाले यौन कार्य की अनुमति प्रदान करता हैं। इस व्यवस्था के तहत महिला यौन-कर्मियों को स्थानीय अधिकारियों के साथ अपने आपको रजिस्टर कराना और नियमित रूप से अपनी शारीरिक जाँच कराना अनिवार्य हैं। वैधीकरण के तहत कुछ व्यवसायिक पेशों के लेकर सामान्य रूप में कुछ निर्धारित क्षेत्रों में श्रम करने के लिए पुलिस से निर्गम प्रमाणपत्र लेना आवयश्क होता हैं। गैर-अपराधीकरण व्यवस्था के मानने वालों का मानना है कि इस प्रकार महिला यौन कार्य के वैधीकरण को महिला यौन-

कर्मियों और उनके स्वास्थ्य के नियंत्रण द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने का एक तरीका समझा जाता हैं। साथ में यह बिना सड़क के पुरुष ग्राहकों की महिलाओं यौन-कर्मियों तक पहुंच की भी अनुमति का समर्थन करता है। महिला यौन कार्य को एक अच्छी आर्थिक विकास नीति मानने का अर्थ है, कि समाज में मांग के अनुसार महिला यौन कार्य का होना। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सुझाव है, कि महिला यौन कार्य को अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में शामिल करने से इस उद्योग द्वारा की गई कमाई से दक्षिण पूर्व एशिया के गरीब देश अधिक आर्थिक फायदा उठा सकते हैं।

यदि हम मेरठ के कबाड़ी बाजार में वैश्यालय आधारित कोठों पर महिला यौन-कर्मियों तथा इस कार्य में जुड़े अन्य व्यक्तियों की और भारतीय संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को जो समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-15 के अनुसार किसी भी नगरिक के बीच मूलवंश, जाति, लिंग धर्म व जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद-15 (3) स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष उपबन्ध प्रदान करता हैं। अनुच्छेद-17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया हैं। अनुच्छेद-19 के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को भाषण, अभिव्यत्ति की स्वतंत्रता, सभासंघ, भ्रमण, आवास एवं पेशे की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। यदि महिला यौन कार्य, श्रम (work) हैं, तो क्या अनुच्छेद-19, माहिला यौन-कर्मियों को वेश्यालयों के कोठों पर यौन कार्य, एक श्रम (prostitution, as a work) के रूप में करने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्रदान करता हैं, या उनके कार्य पर और उनके ऊपर किसी और किस्म का अधिकार हैं ? अनुच्छेद-23 के द्वारा किसी भी प्रकार से मनुष्य के शोषण को वर्जित किया गया हैं। यह अनुच्छेद स्त्रियों के शोषण, क्रय-विक्रय, वेश्यावृत्ति तथा बेगारी जैसे कार्यों को निषेध करता हैं। अनुच्छेद–24, 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को किसी कारखाने या खान अथवा जोखिम भरे काम में लगाने को प्रंतिबधित करता हैं। इसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 व 326 के अनुसार भारत के प्रत्येक वयस्क् नागरिक को, जो पागल या अपराधी न हो, मताधिकार प्राप्त हैं। भारत में किसी नागरिक को धर्म्, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किन्तु मेरठ के कबाड़ी बाज़ार क्षेत्र में कोठे आधारित वेश्यालयों में कार्यरत महिला यौन कर्मी अपने मताधिकार के अधीकार से वंचित पाई गयीं।

"सोनिया, सावित्री, कल्पना, अनुराधा, कोमल, बबिता... आदि महिला यौन-कर्मियों का कहना है कि साहब हमको कोई इंसान ही मान ले यही बहुत है, नागरिक मानना तो बहुत बड़ी बात है, हमारी बिक्री तो रोज होती है और रोज हमारा शोषण होता हैं। हमारे शरीर की रुई की तरह धुनाई होती है, और हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं होता हैं। जब तक हमारा ग्राहक हमारे पास होता है तो हमसे खूब लिपटता है, लेकिन जब उसी ग्राहक का हम से काम निकल जाता है तो हमारी तरफ देखता भी नहीं हैं। कोई भी सरकार हमारे लिए काम क्यों करेगी हम उसके लिए कौन सा काम करतीं हैं।सरकार तो हमको यहाँ से हटाना और चाहती है फिर चाहें हम किसी भी हालत में क्यों ना रहें। कोई हमारे आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड तक नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको बनबाने के लिए स्थायी प्रमाण की जरुरत होती है जो कि हमारे पास नहीं होता है, उसके बाद हमारा भी एक जगह कोई स्थाई ठिकाना नहीं होता है तब हम क्या वोट डालने जा सकते जब हमारे पास वोटर कार्ड ही नहीं होता है।"

तब भारत में जन्मा हर पुरुष और महिला (वह महिला भी चाहे वह यौन कार्य ही क्यों ना कर रही है) भारत की नागरिक है, और उनको भारतीय नागरिक के सभी अधिकार प्राप्त होने चाहियें, किन्तु जब हम कबाड़ी बाजार में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के सन्दर्भ में उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का विश्लेषण करते हैं तब यह तथ्य सामने आते हैं कि यहाँ पर अधिकांशत महिला यौन कर्मी समाज में समानता के अधिकार जैसी बातो से एकदम अनभिज्ञ हैं, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ पर जो भी इनके बच्चे होते हैं अधिकांशत वह विद्यालय में शिक्षा लेने ही नहीं जाते हैं, उनका जीवन शिक्षा के अभाव में ही कटता हैं। प्रतिष्ठित विद्यालयों में गरिमा के साथ शिक्षा दिलाने का अधिकार, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार, यहाँ पर कार्यरत अधिकांशत महिला यौन-कर्मियों को मतदान क्या और कैसा होता है इसी बात की जानकारी ही नहीं हैं।

"कनिका, सुन्दरी, कविता, अनीता, अमिता, सुनीता, शिप्रा... आदि अन्य बहुत सी महिला यौन कर्मी जो कि मेरठ के कबाड़ी बाज़ार क्षेत्र में यौन कार्य कर रहीं हैं और अपने बच्चों के साथ यहीं लोहे के अहाते में किराए के मकान में रहती हैं का अपने नागरिक अधिकारों के विषय में कहना है कि साहब आप हमारे मान सम्मान और गरिमा की बात कर रहे हैं हमने तो ऐसी बात ही जीवन में पहली बार सुनी हैं। हम लोगों के पास ना तो शिक्षा है, ना ही यहाँ पर हमारे लिए कोई भी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है, और ना ही हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए कोई विद्यालय ही। साहब यदि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है उनको कोई सरकारी नौकरी मेल जायेगी और ऐसा भी नहीं है कि वह कोई अच्छा मुकाम समाज में प्राप्त कर लेयेंगे अंततः उनको भी इसी काम में ही शामिल होना है, यदि लड़का है तो दलाल बनेगा और यदि लड़की है तो यौन कर्मी, तब आप ही बताओ कि क्या इसको आप गरिमामय नागरिक होना कहोगे। साहब यहाँ पर हमारा सब कुछ निश्चित है जीवन, भविष्य, व्यवसाय और आजीविका सब कुछ। हम ऐसे जाल में फंसे हैं जहाँ से इस जन्म में निकल कर इस समाज में गरिमामय जीवन पाना असंभव है।"

Wad and Jadhav, "The Legal framework of Prostitution in India" प्रस्तुत लेख में लेखक ने महिला यौन कार्य को नियन्त्रित करने के लिये भारत में जो कानूनी ढांचा है, उसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया है, यह लेख एक महिला यौन कार्य के कानूनी स्वरुप को समझने के लिए के लिखा गया एक संक्षिप्त ऐतहासिक प्रपत्र भी माना जा सकता है, जिसके माध्यम से भारत में होने वाले महिला यौन कार्य से सम्बंधित अधिनियम व कानूनों का किस प्रकार विकास हुआ है को यह बताया गया हैं। लेखक कहते हैं कि 1860 में Lord Macaulay द्वारा भारत में Indian Penal Code (IPC) कानून बना, जिसके अनुभाग 268, 269, 270, 372, 373 व 377 और खंड XIV आदि के अंतर्गत महिला यौन कार्य को नियंत्रित करने के लिए कानूनन प्रावधान किये गए हैं। इन कानूनों के बाद भारत में स्वतंत्रता अवधि के उपरान्त The Immoral Traffic (Prevention) Act-1956 आया जिसमें 1978 इस अधिनियम में कुछ सुधार किये गए व 1986 में इसमें और अन्य सुधारों के साथ इसका नाम बदलकर Suppression of Immoral Traffic (in women and girls) Act-1956 (SITA) कर दिया गया । इसी के साथ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23, 35... आदि में भी महिलाओं को सशक्त कुछ विशेष प्रावधान किये गए हैं, किन्तु भारत में अभी तक महिला यौन कार्य से संबंधित मुख्य कानून SITA ही चल रहा है।

जब शोधार्थी इन सभी इन सभी इन सभी उपरोक्त कानूनी महिला यौन कार्य से संबंधित इन सभी कानूनी प्रावधानों को देखता है और उसके बाद मेरठ के कबाड़ी बाजार क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के जन जीवन का अध्ययन किया तो इन सभी उपरोक्त कानूनी प्रावधानों का असर कहीं भी देखने को नहीं मिला। इन सभी कानूनी प्रावधानों के विषय में महिला यौन कार्य में शामिल व्यक्ति, दलाल, दल्लन अर्थात कोठे की मालकिन, और महिला यौन-कर्मियों को कुछ भी जागरूकता नहीं रखते थे। इतना ही नहीं इन कानूनी प्रावधानों के प्रति यहाँ पर तैनात पुलिस के जवान भी कोई जागरूक नहीं पाए गए। इस कबाड़ी बाजार में तथा पुलिस कर्मियों में यह बहुत जोरों से यह मान्यता है कि यह महिला यौन कर्मी हमारे समाज को गन्दा कर रही है इसलिए इसको यहाँ से इन महिलाओं को दूर कर दिया जाना चाहिए ताकि समाज को बचाया जा सके।

Sanders and O'Neill (et all) "Sex Workers, Labour Rights and Unionization" प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखक यह विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि इस पुरे संसार में कैसे-कैसे महिला यौन-कर्मियों के अधिकारों को लेकर सामाजिक संगठन हुए हैं और उन्होंने किस प्रकार एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चलाये हैं, जैसे भारत में Durbar Mahila Samanwaya Committee (DMSC), महिला यौन-कर्मियों का एक ऐसा संगठन है जो कि अपने अधिकारों के लिए सरकार से लगातार आंदोलन के जरिये मांग करता रहता हैं। लेखक कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार Brazil, Europe आदि स्थानों पर महिला यौन-कर्मियों ने एकजुट होकर सरकार के प्रति अपनी मांग को रखने के लिए बहुत से आंदोलन किये हैं, जिनमें श्रमिकों के अधिकार, मानवाधिकार... आदि इन महिला यौन-कर्मियों के आन्दोलनों के मुख्य मुद्दे रहे हैं।भारत में DMSC पश्चिम बंगाल, भारत में महिला, पुरुष और हिजड़ा यौन-कर्मियों के संगठन का एक विशेष मंच है, जो कि इनके मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, और श्रमिकों के अधिकार.. आदियों के लिए काम करता हैं। DMSC बंगाल के सोनागाछी क्षेत्र में कार्यरत 65000 यौन-कर्मियों का संगठन है, यह संगठन वहां की सरकार से उन समुदायों के सदस्यों के लिए जो की हाशिये पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको गरिमामय जीवन के साथ समाज में सम्मान और अधिकार दिलवाने की बात करता हैं। यह संगठन समाज में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की आशा करता है जिसमें की किसी भी व्यक्ति के साथ वर्ग, जाति, लिंग, और व्यवसाय के आधार पर कोई भी लांछन ना जुड़ा हो। DMSC संगठन सोनागाछी कबाड़ी बाज़ार क्षेत्र में कार्यरत यौन-कर्मियों बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल चलाते हैं, उनकी मनोरंजन व खेलकूद की व्यवस्था करते हैं। DMSC संगठन सोनागाछी कबाड़ी बाज़ार क्षेत्र में कार्यरत यौन-कर्मियों को STD व HIV संक्रमण से कैसे बचा जाए इसके लिए जागरूक भी करते हैं व इन संक्रमणों से बचने के लिए इन यौन-कर्मियों में कंडोमों का भी वितरण किया जाता था।

उपरोक्त सन्दर्भ के अनुसार मेरठ के कबाड़ी बाजार क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के नागरिक अधिकारों को लेकर यहाँ पर कोई भी आंदोलन या संगठन नहीं चल रहा है जिससे कि इन महिलाओं को भी नागरिक होने के अधिकार प्राप्त हो सकें। कबाड़ी बाजार क्षेत्र में मात्र मनोरंजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, और उत्तर प्रदेश एड्स नियन्त्रण सोसाइटी की तरफ से टी. आई. प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिस प्रोग्राम के तहत इन महिला यौन-कर्मियों का पंजीकरण किया जाता है और यह हिसाब रखा जाता है कि कौन सी महिला यौन कर्मी इन कोठों पर आई है और वह कब आई है, किन्तु शोधार्थी के तथ्यों से यह भी सामने आया कि इन कोठों पर ऐसी भी महिला यौन कर्मी हैं जिनका हिसाब मनोरंजन विभाग या टी.आई. कार्यक्रम के रिकॉर्ड में नहीं हैं यह वह महिला यौन कर्मी हैं जो कि बहुत नयी होती हैं और जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलती रहती हैं, इसी के साथ ऐसी महिला यौन भी यहाँ पर कार्यरत हैं जो कि अपनी पहचान छिपा कर रखना चाहती हैं और अपना पंजीकरण इस डर से नहीं करवाती हैं कि कहीं उनकी पहचान समाज में एक यौन कर्मी की ना बन जाए इसलिए ऐसी महिला यौन कर्मीयों का रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है, किन्तु जो यहाँ पर स्थाई रूप से यौन कार्य में कार्यरत हैं उनका अधिकांशत रिकॉर्ड मनोरंजन विभाग के पास होता हैं। किन्तु यह मनोरंजन विभाग का कार्य मात्र इन महिला यौन-कर्मियों में HIV-संक्रमण और Sexually Transmitted Infection (STI)-संक्रमण को रोकना है, ताकि इन महिला यौन-कर्मियों से यह संक्रमण समाज में ना फैले इसलिए इन महिला यौन-कर्मियों को उत्तर प्रदेश एड्स नियन्त्रण सोसाइटी की तरफ से मुफ्त कंडोम का वितरण किया जाता है और उनको इस बात क्र लिए जागरूक किया जाता है कि वह किसी भी ग्राहक के साथ बिना कंडोम के सहवास न करें। इन महिला यौन-कर्मियों की हर छ माह के बाद मुफ्त HIV-संक्रमण की और हर तीन माह के बाद STI की जाँच भी मुफ्त कराई जाती हैं। इन विभागों के द्वारा इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है कि कौन सी महिला यौन कर्मी इस कोठे को छोड़कर कहाँ जा रही है और जहाँ भी जा रही है क्या उसका जीवन वहां पर सुरक्षित हैं। इन विभागों के द्वारा यदि किसी महिला यौन कर्मी को HIV-संक्रमण या STI के संक्रमण से ग्रसित हो जाती है तो सरकारी अस्पताल से उसके इलाज हेतु सहायता भी की जाती है, किन्तु एक नागरिक के और भी अधिकार होते हैं, जैसे अपने बच्चों को शिक्षित करना, अपना घर मकान बनाना, मतदान आदि करना इस तरह के अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए और उनको इन्हें दिलवाने के लिए लड़ने हेतु इस कबाड़ी बाजार क्षेत्र की यौन-कर्मियों के साथ कोई भी दिखाई नहीं देता हैं।

भारत में तथा कबाड़ी बाजार क्षेत्र मेरठ क्षेत्र अध्ययन के समय यह सामाजिक तथ्य प्राप्त हुए कि यहाँ पर इन महिला यौन-कर्मियों की सेवाओं के विषय में अभी तक बहुत कम मनोविश्लेषण जानकारी उपलब्ध हैं। लैंगिकता (sexuality) के विषय में भारत में खुले रूप से ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है, क्योंकि इस तरह की चर्चाएँ यहाँ सांस्कृतिक आर्दशों के विपरीत मानी जाती हैं, जो कि शादी से पहले पवित्रता (chastity) एवं शादी के बाद वफादारी की बात नहीं करते हैं; वह आमतौर पर पुरुष इन सामाजिक नियमों से भटक जाते हैं। हालांकि पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया की तरह यह व्यवहार उतना प्रचलित नहीं है, पर इसका वास्तविक साक्ष्य है कि भारत में पुरुषों की एक निश्चित संख्या यौन-कर्मियों के ग्राहक के रूप में होती हैं। पुरुषों के गतिशील समूह जैसे शहरों में पुरुष प्रवासियों, ट्रक चालकों, सैन्य सेवाओं में काम करने वाले, एवं यात्रा करने वाले व्यापारियों को यौन-कर्मियों के महत्वपूर्ण ग्राहक समूह के रूप में देखा जा सकता हैं। इसी तरह बहुत सारे व्यस्क पुरुषों का यौन जीवन वेश्याओं के साथ ही शुरू होता है। भारत में HIV का तेजी से व्यापक प्रसार भी इस बात को रेखांकित करता है, कि भारत में एकपत्नीत्व को जरूरी रूप से व्यवहार में शामिल नहीं किया जाता है। यह भारतीय समाज के हर वर्ग के पुरुषों पर लागू होता हैं।

अनुराधा, पुनम, कविता, दीपिका, कुसुम, अर्चना... आदि महिला यौन कर्मी जो कि कबाड़ी बाजार क्षेत्र में यौन कार्य कर रही हैं का मानना है कि ट्रक ड्राइवर, सेना के लोग, सरकारी नौकरी वाले और मजदूर वर्ग के लोग अधिक संख्या में हमारे पास यौन सेवाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं।इन वर्गों के यह लोग हमसे अधिकतर बिना कंडोम के संबंध बनाने के लिए दबाब डालते हैं और इसके लिए अधिक पैसे भी देते हैं।बहुत बार हम भी इस लालच में आ जाते हैं कि बिना कंडोम के यौन सेवा देने से हमको अधिक आमदनी हो रही है तो हम भी इस प्रकार के असुरक्षित यौन संबंध ग्राहक के साथ बना लेते हैं जिसका खामियाजा हमको यौन संक्रमणों जैसी बीमारियों के साथ भुगतना पड़ता है।

DMSC जो कि महिला यौन-कर्मियों के उत्थान के लिए प्रयासरत है द्वारा महिला यौन-कर्मियों के लिए प्रस्तावित नीति-घोषणा पत्र में महिलाओं को यौन कार्य में शामिल होने वाले मुद्दों को आसानी से ढूंढा जा सकता है, जिनका कहना है कि जीविकोपार्जन के लिए उपलब्ध अन्य पेशों में शामिल होने की वजहों की तरह ही महिलाएं वेश्यावृत्ति का भी पेशा अपनाती हैं। यहाँ पर DMSC का महिला यौन कार्य और अन्य कार्य का एक तुलनात्मक ढांचा लिंग के सीमित दायरे से बाहर इस बात को स्पष्ट करता है कि किस तरीके से जीविकोपार्जन की तलाश में महिला एवं पुरुष इस अनौपचारिक सेक्टर में फंस जाते हैं परन्तु एक पुरुष रिक्शाचालक एवं एक महिला यौन कर्मी के बीच यह तुलना कहां तक संभव है? कोलकाता में रिक्शाचालकों की आमदनी से संबंधित रिपोर्ट पर नजर डालने से यह स्पष्ट होता है कि इन रिक्शाचालकों की प्रतिदिन की कमाई 20-25 रुपए से अधिक नहीं होती। इसकी तुलना में सोनागाछी (कोलकाता) में काम करने वाली यौन-कर्मियों द्वारा ली गई औसतन कीमत 40 रुपए प्रति काम (ट्रिप) है जिससे उनकी कुल औसतन आमदनी 15 से 600 रुपए तक होती है। अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में उनकी आमदनी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। यौन-

कर्मियों की मान्यताओं का ठीक ऐसा ही स्वरुप मेरठ के कबाड़ी बाजार क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों में भी देखने को मिला हैं।

इस सन्दर्भ में अर्चना, रानी, अंशु, रानी, नीलम, सीमा, शशि, बिमला... आदि महिला यौन-कर्मियों का मानना है कि हम जितना पैसा इस काम में कमा लेते हैं, उतना पैसा किसी भी काम में कमा सकते हैं, क्योंकि हम अनपढ़ हैं हमारी किसी से कोई जान पहचान भी नहीं है और तो हमारी कोई सरकारी नौकरी तो लगेगी नहीं और मजदूरी करके हमारा ना पेट भरेगा और ना ही हम अब मजदूरी कर सकते हैं क्योंकि अब हमको भी इसी काम की आदत पड़ चुकी हैं। यदि इन सब के बाद भी हम यह यौन कार्य छोड़कर कहीं दूसरा काम करने जायेंगे तो वहां भी हमको यही काम करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिवा यह काम करने के इसलिए हम अब हम अपना कार्य नहीं छोड़ सकते हैं चाहें हमको हमारे नागरिक अधीकार मिलें या नहीं मिलें। इसी के साथ कबाड़ी बाजार में काम कर रही महिला यौन-कर्मियों का यह भी कहना है कि हम जरुर इस काम में एक मजदूर से अधिक कमाई करते हैं किन्तु हमारी कमाई का अधिकतर भाग इस काम में जुड़े अन्य लोगों में बंट जाता है जैसे – दलाल, कोठे की मालिकन, पुलिस को, और वह लोकल लोग जो कि हमको सुरक्षा देने का दावा करते हैं।इन सब में हमारी कमाई बंटने के बाद एक मजदूर से भी कम बचती है इस प्रकार हमारे पास मात्र पेट के लिए रोटी खाने हेतु पैसे ही हमारी कमाई के बचते हैं यदि किसी ग्राहक के साथ कोई पुलिस विवाद आदि हो गया तो वह भी नहीं बचते हैं वल्कि वह भी वकील अथवा थाने में खर्च हो जाते हैं।तब हम किस प्रकार इस देश के नागरिक हो सकते हैं जो कि अपना काम भी ठीक ढंग से नहीं कर सके हैं और ना ही हमारी कमाई पर मात्र हमारा अधिकार होता हैं।

DMSC की भांति बहुत सी परिस्थितियों में इस प्रकार महिलाओं एवं पुरुषों के कामों की यौन कार्य से की जाने वाली तुलनाएं प्रासंगिक हो सकती है किन्तु इनकी प्रासंगिकता अकादमिक अर्थों में ज्यादा साबित हो सकती है, अर्थात कहने का आशय यह है कि, इस अर्थ में (अकादमिक मायने में) यौन-कर्मियों को उनके साथ सामान्य तराजू में रखकर उनकी आमदनी की तुलना करके यह दिखाया जा सकता है कि यौन-कर्मियों की कमाई एक सामान्य मजदूर की तुलना में ज्यादा हो सकती है। परन्तु यह आमदनी महिलाओं के यौन कार्य में प्रवेश का तर्क भी नहीं हो सकती हैं। अगर यौन कार्य में शामिल होना एक आर्थिक फैसला है तो इसका औचित्य श्रम बाजार में यौन-कर्मियों को अपने अनुभव से आना चाहिए मजबूरी या मानव तस्करी जैसे आदि रास्तों से नहीं । इस प्रयास में, अकादमिक जगत की तरह उनके पास अन्य अनौपचारिक जीविकोपार्जन के उपायों से तुलना करने का कोई साध्य नहीं होता हैं। उसके कामों का फैसला उसके अपने अनुभव पर या अन्य कामों से पहचान पर निर्भर करता हैं। उसके पास उपलब्ध विकल्पों में यौन कार्य एक ज्यादा सोची समझी पसंद का विकल्प होगा, किन्तु इस कार्य से निकलकर कोई अन्य कार्य करने का विकल्प भी उनके पास होना चाहिए और साथ ही हर प्रकार की महिला यौन कर्मी का जीवन सभी नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के साथ समाज में गरिमामय होना चाहिए ।

वेश्यावृत्ति को लेकर नारीवादी दृष्टिकोण भी विरोधाभासों से अछुता नहीं हैं। एक तरफ वेश्याएं मुख्य रूप से महिलाएं होती हैं तथा कानून द्वारा दबाई एवं सताई जाती हैं। बहुत सारे नारीवादियों का मानना है कि समाज के अन्य वर्गों की तरह उन्हें भी पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए एवं उन्हें अपने धंधे को शांतिपूर्वक चलाने की अनुमति देनी चाहिए। इसी सन्दर्भ में मेरठ के कबाड़ी बाजार क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों का विश्लेषण किया जाता है तो सामने आता है कि-

मेरठ के कबाड़ी बाज़ार क्षेत्र में काम कर रही यौन-कर्मियों का मानना है कि हमको भी वह सभी अधिकार मिलने चाहिए जो कि एक आम आदमी को प्राप्त हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं और हम भी इंसानों के लिए ही काम करते हैं इसलिए हमारे काम को गन्दी नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए और हमको भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए । इस काम को भी अन्य कार्यों की भाँती समान मान्यता सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए ताकि हम पुलिस की रोखथाम और शोषण से मुक्त रह सकें। इसी के साथ सरकार को हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से उचित प्रबंध करना चाहिए, तथा सरकार को चाहिए कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हमेशा कोई डॉक्टर उपलब्ध हो तो सबसे ठीक हैं। सरकार को हमारे लिए चाहिए कि हमारे मन से यह डर समाप्त हो जाए कि हम कोई गलत या बुरा काम कर रहे हैं हम भी यह काम करके सम्मान जनक जीवन यापन कर सकें तो हम मान सकते हैं कि हम भी इस समाज और देश के सामान्य नागरिक हैं।

ऐसे ही सामाजिक तथ्यों की मजबूती अन्य साक्ष्यों से भी मिलती है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि वेश्यावृत्ति की अनेकों खराब विशेषताएं इसके अवैध होने के कारण ही हैं। जैसे-दलालों एवं पुलिस की गुप्त निगरानी करने वाली रणनीतियां, कोठे मालिकों द्वारा शोषण, बिना किसी कानूनी मदद के हमले होने का खतरा, ड्रग तस्करी तथा संगठित अपराध के साथ अटूट संबंध होना ही यौन कार्य अवैधता के कारण माने जाते हैं। बहुत बार यौन कर्मी भी इन बातों को भली-भांति स्वीकार करती हैं।

वहीं दूसरी तरफ कुछ नारीवादियों का मानना है कि यौन कार्य की उत्पत्ति की जड़े पुरुष एवं महिला के बीच प्रभुत्व एवं अधीनता की असमानता में छुपी हुई है। वहीं मेरठ के कबाड़ी बाजार में रहने वाले सभी आम जनों के द्वारा यह धारणा स्वीकार की हुई है कि वेश्यावृत्ति पुरुषों के द्वारा महिलाओं का यौन शोषण है, को परिभाषित करते हैं। कभी-कभी ये दोनों मत एक दूसरे के अगल-बगल भी दिखाई पड़ते हैं। ज्यादातर समय, ये दोनों मत एक दूसरे का विरोध करते हुए नारीवादी चेतना में व्याप्त अंतर को उजागर करते हैं।

समाज में विद्रोह करने वाली एक महिला को सभ्य सामाजिक महिला के लक्षणों के बिना समझा जाता है, परन्तु उसे लैंगिक स्वतंत्रता एवं यौन आकर्षण के दोहरे पैमाने पर दोहरे भेदभावपूर्ण तरीके से भी कलंकित किया जा सकता है, जैसे की उसे एक "खाई" या समलैंगिक कहकर संबोधित करना या सीधे तरीके से उसे आवारा, फूहड़ और वेश्या जैसे संबोधनों से संबोधित किया जा सकता हैं। इस तरीके से एक वेश्या अंतरलैंगिक संबंध में एक बुरी लड़की को परिभाषित करती है, किन्तु ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अधिकांशत पितृसत्तात्मक संस्कृति में तिरस्कार पूर्ण संबोधनों जैसे "whore" (वेश्या), "putain" (कुलटा), या "puta" का प्रयोग ना सिर्फ शब्दिक प्रयोग हुआ है बल्कि लाक्षणिक रूप से इसे (figuratively) व्यवहार, यौन एवं अन्य तरीके से बिगड़ी हुई महिलाओं को सुधारने के लिए भी किया जाता रहा हैं।

इस प्रकार, आपराधिक न्याय प्रक्रिया की यथास्थिति एक मौलिक यौन अंतर को बचाता हैं। सार्वजनिक रूप से, और कभी-कभी अच्छी महिलाओं द्वारा भी यह आमतौर पर कहा जाता है कि वेश्याएं खराब होती हैं, परन्तु साथ ही साथ वेश्यावृत्ति के चलन जिसमें कि दोनों ही लिंगों की समान रूप से सहभागिता होती है जिस बात पर कोई चर्चा नहीं करता है और इस सहभागिता को अधिकतर छुपाया जाता हैं। इस व्यवस्था में जहाँ एक तरफ पुरुषों की एक बड़ी संख्या को ऐसा करने की अनुमति समाज देता है वहीँ दूसरी दूसरे तरफ महिला लिंग को ही प्रताड़ित किया जाता है कि वह यौन कार्य करती है, जिसका स्वरुप मेरठ के कबाड़ी बाज़ार क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर काम कर रही महिला यौन-कर्मियों के रूप में भी तथ्य प्राप्त हुए हैं-

"हम तो यह काम छोड़ भी दें लेकिन यह समाज हमको जीने नहीं देगा जब भी इस समाज में यह पता चलेगा कि हम यौन कार्य करते थे तो यही लोग हमको जीने नहीं देंगे और हमसे इसी प्रकार के काम की कामना करेंगे की हम उनके साथ यही यौन कार्य करें यह समाज हमको किसी भी प्रकार से हमको नहीं जीने देगा, हमको वहां भी अपना शरीर बेचकर ही पेट पालना पड़ेगा। साहब हम तो आज यह काम छोड़ दें लेकिन कोई बताएं की हमारे जीवन की जिम्मेदारी कौन

लेगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो की हमारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो यदि सरकार चाहती तो कब का यह काम समाप्त हो गया होता । कोई भी लड़की अपनी खुशी और मजे के लिए रण्डी नहीं बनती है। यही समाज उसको यह सब करने के लिए मजबूर करता है, और यही समाज हमको स्वीकार नहीं करता है"

क्षेत्र अध्ययन के तथ्यों तथा समस्त समाजों के उदाहरणों से बेशक यह सच्चाई सामने आती हैं कि वेश्यावृत्ति हर जगह, हर समय अवैध नहीं रही हैं और ना ही हर जगह इसका कोई एक सामान्य तरीका हैं। आमतौर पर, सिर्फ वेश्याओं को ही गिरफ्तार करना तथा "अच्छी महिला और खराब महिला" के बीच विभाजन को बनाना एवं उसे सटीकता से कायम रखना, उस व्यवस्था एवं प्रक्रिया को निश्चित करता है जो कि महिलाओं के लिए असुरक्षित एवं विभाजनकारी हैं। अतः यह सिर्फ वेश्याओं का ही सवाल नहीं है परन्तु इससे प्रभावित होने वाली सभी महिलाओं का सवाल हैं। "एक अच्छी" महिला के नजरिए से, जो कि अपनी दूसरी तरफ संशय एवं अस्पष्टता के कारण झुकी हो, उसके प्रति भी सामूहिक अत्याचार को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह भी इस देश की नागरिक है, जिसके लिए मेरठ के कबाड़ी बाज़ार क्षेत्र में काम कर रही यौन-कर्मियों का मानना है कि–

"यदि इस समाज में हमारी जरुरत नहीं होती तो सरकार अब तक हमको हटा चुकी होती, यदि हमको अभी तक नहीं हटाया है तो इसका मतलब है कि हमारी अभी तक समाज में जरुरत है तब यदि हमारी जरुरत ही है तो हमको कानूनन यह मान्यता क्यों नहीं दी जाती की हमारा काम समाज के लिए उपयोगी है, और इस काम को सरकारी मंजूरी दी जाती है, कि कोई भी लड़की अठारह साल के बाद यह काम कर सकती है उसको कानूनन सहायता और सुरक्षा दी जाती है । यदि सरकार ऐसा करेगी तो हमको और हमारे काम को भी समाज में सम्मान मिलेगा और हमको एक नागरिक होने के अधिकार मिल सकते हैं।"

इसी विषय में Shrage का मानना है कि इन दोनों आयामों को कम से कम सैद्धांतिक रूप में सुलझाया जा सकता है। मेरठ शहर के कबाड़ी बाज़ार क्षेत्र में नृवंश-संबंधी अध्ययन से प्राप्त सामाजिक तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभी तक के वेश्यावृत्ति में व्याप्त पक्षपात को समाप्त करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन की जरूरत होगी। जैसा कि यहाँ पर महिला यौन-कर्मियों ने भी स्वयं सुझाव दिए हैं कि वेश्यावृत्ति का एक लक्ष्य पेशेवर रूप से एवं बिना किसी कलंक और निन्दा के चिकित्सकीय उपचार का निर्माण हो सकता है, परन्तु इसके लिए भी वेश्यावृत्ति के लिए जिम्मेदार सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को भी बदलने की जरूरत है, ताकि इसका लैंगिकवादी चरित्र भी खत्म हो पाए। यह सब करने के लिए ना सिर्फ वैधीकरण एवं सुरक्षित रोजगार के हालात जरूरी हैं बल्कि यौन-कर्मियों की जरूरतों को भी पुरुष एवं महिला के लिए एक समान होना जरूरी हैं। अंतरलैंगिकता के विशेषाधिकार की समाप्ति के लिए एक वृहद स्तर पर आयु एवं शरीर को कार्यरत करने की जरूरत है। इसके लिए शायद आमूल्य परिवर्तन की जरूरत है ताकि अगर ये परिवर्तन हुए भी तो इसके परिणामों में वेश्यावृत्ति की कोई पहचान ना रह पाए। इनमें सेक्स एवं महिलाओं से संबंधित दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा तथा जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसे स्वतंत्र समाज का निर्माण होना संभव हो सकेगा जिसमें यौन एवं आर्थिक आदान-प्रदान की कोई मांग नहीं होगी।

हालांकि कबाड़ी बाजार क्षेत्र के अध्ययन के समय यहाँ पर बहुत से पुरुष यौन कर्मी तथा हिजड़े यौन कर्मी भी मिले जिनके ग्राहक भी पुरुष ही होते थे और वह इनकी यौन सेवा और इन्हें पसंद भी बहुत करते थे। इनके ग्राहकों का कहना था कि सेक्स में जो आनंद यह पुरुष यौन कर्मी और हिजड़े देते हैं कोई महिला नहीं दे सकती है और इनकी कीमत भी कम होती है। इसलिए हम इनको अधिक पसंद करते हैं। इन तथ्यों के अनुसार यह माना जा सकता है कि वेश्यावृत्ति के लिए जिम्मेदार हालात सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं हैं, पर ये हालात इस तरीके से घटित होते हैं कि ये महिलाओं के लिए अधिकतर अहितकर साबित होते हैं क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा गरीब होती हैं, तथा आर्थिक शोषण और रोजगार के लिए मोल भाव करने वाली स्थिति में ज्यादा कमजोर होती हैं। वेश्यावृत्ति में जहाँ दलाल एवं लड़कियों को सप्लाई करने वाले उनकी आर्थिक एवं सामाजिक असुरक्षा का फायदा उठाते हैं, वहीं कानून लागू करने वाली एजेंसियां उन्हें अपराधी और अवैध घोषित करती हैं। बहुत सारी महिला वेश्याओं को शिशु उत्पीड़न से भी गुजरना पड़ा है एवं शिशु उत्पीड़न के शिकार अधिकांशतः शुरुआती उम्र से ही इस धंधे में शामिल हो जाती हैं तथा इनसे निकल नहीं पाती हैं। इन पीड़ित महिलाओं में अपने अवसरवादी दुरुपयोग करने वालों से अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता की कमी होती है।

इस प्रकार मेरठ के कबाड़ी बाजार क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के जन जीवन का विश्लेषण करते हुए यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार महिला यौन कार्य महिला यौन-कर्मियों एवं उनके परिवारों पर अपने प्रभाव द्वारा समाज की नैतिक संरचना को कमजोर बनाता हैं। परन्तु यह यौन कर्मी इस बात को भी रेखांकित करती हैं कि इसका जिम्मा सर्वप्रथम पुरुषों पर है क्योंकि वह हमारे समाज में पारिवारिक दायित्वों के निर्वाहन में कम सक्षम होते हैं। उनके इस दृष्टिकोण से, लिंगों की असमानता के निवारण के लिए पुरुषों एवं पिताओं के कर्तव्यों की मजबूती के साथ-साथ महिलाओं एवं माताओं की स्वतंत्रता भी जरूरी हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो, यौन इच्छाओं, प्रेम और आत्म सम्मान के बीच में मानसिक बंधन को बनाए रखने के लिए एक नैतिक रास्ता अपनाता है, जो कि वेश्यावृत्ति को अन्य भुगतान की गयी सेवाओं से अलग करता हैं।

किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि यह कबाड़ी बाजार में वेश्यालय आधारित महिला यौन कर्मी या अन्य प्रकार की महिला यौन कर्मी अपनी जिंदगी में स्वतंत्रता पूर्वक किसी साधन का प्रयोग नहीं करती हैं बल्कि इसका मतलब है कि समाज को एक पितृसत्तात्मक दुनिया के सन्दर्भ में इस स्वतंत्रता एवं साधन की संपूर्ण प्राप्ति को बढ़ावा के लिए हर प्रकार का प्रयास करना चाहिए। मेरठ के कबाड़ी बाजार में वैश्यालय अहरित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के साथ अध्ययन करने से यह सामाजिक तथ्य सामने आये कि शुरुआत के लिए, अगर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर महिलाएं यौन कार्य को एक व्यवसाय के रूप में इसलिए अपनाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस समय यही उनके पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं, किन्तु स्वतंत्रता एवं माध्यम के लिए एक नारीवादी चिंतन को महिलाओं का यौन कर्मी बनने के अपने "पसंद" की बात करने से कुछ और अधिक करने की जरूरत हैं। उनका मानना है कि नारीवादी चिंतन को महिलाओं के लिए पेशेवर विकल्पों में वृद्धि की बात करनी चाहिए। ताकि वे समाज में सामाजिक और आर्थिक विकल्पों की सीमितता के बंधनों में न बंधे। इसके अलावा उनका मानना है कि यौन-कर्मियों के विकल्प में तभी वृद्धि होगी जब समाज महिलाओं में आत्मसम्मान को बनाए रखने की जरूरत को गंभीरता से लेगा। इस प्रकार, उन सभी महिलाओं को जो कि यौन कर्मी हैं और उन महिलाओं को भी जो कि यौन कर्मी नहीं हैं, समाज में को खुद की बर्बादी वाले विकल्पों को चुनने से बचाया जा सकता हैं।

मेरठ के कबाड़ी बाजार क्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों के साक्षात्कार और क्षेत्र कार्य के दौरान महिला यौन कर्मी और उनके नागरिक जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अभिलक्षण सामने आते हैं, जिन पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, उनमें सर्वप्रथम हम इस तथ्य पर विचार कर सकते हैं, कि महिला यौन कर्मी जिस भोगोलिक क्षेत्र में यौन श्रम कर रहीं हैं, क्या वह उस जगह की ही स्थानीय नागरिक हैं अथवा नहीं हैं, यदि वह वहां की स्थानीय नागरिक नहीं हैं, तब वह उस जगह कानूनन वैध रूप से काम कर रहीं हैं, अथवा गैर-कानूनी ढंग से यौन श्रम में कार्यरत हैं, क्या उनके पास जीवन यापन करने के लिए सामान्य नागरिकों के सामान पर्याप्त साधन और

सामाजिक पहचान है अथवा नहीं है, इसी के साथ सभी महिला यौन-कर्मियों के जीवन दिनचर्या और जीवन शैली से जुड़ीं बहुत सी असमानताओं पर चिंतन किया जा सकता है, हालांकि स्वयं से यौन कार्य के व्यवसाय में प्रवेश करने वाली पारस्परिक रूप से विरोधी बात का प्रयोग बार-बार किया जाता रहा है, किन्तु यौन श्रम में जहाँ; यौनिक संबंधों का स्वरुप असमान पाया जाता है, वहाँ पर सहमति अथवा असहमति की बात करना बेपरवाही सी महसूस होती हैं।

अध्ययन की कार्य पद्धति

शोध अध्ययन की शुरुआत में शोधार्थी ने अपने शोध विषय से संबंधित किताबों, लेखों, सरकारी दस्तावेजों, आदियों को एकत्रित करके उनकी समीक्षा की तथा इसी के साथ-साथ एक वर्ष तक अपने विषय विशेषज्ञ के साथ कोर्स वर्क किया जिसके माध्यम से महिला यौन-कर्मियों के मुख्य मुद्दों को कैसे समझा जाए इस बात की समझ पुख्ता हुई। एक वर्ष तक द्वितीयक श्रोतों के अध्ययन के उपरान्त अपने विषय विशेषज्ञ के सुझावों के अनुसार वेश्यालय आधारित क्षेत्र कबाड़ी बाजार का एक पायलेट अध्ययन किया गया जिसके माध्यम से कबाड़ी बाजार के विषय के बारे में बहुत से तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, जिन तथ्यों के माध्यम से बहुत महिला यौन श्रम के विषय में शोधार्थी की समझ और अधिक विकसित हुई।

इसी के साथ साथ शोध अध्ययन को पूरा करने के लिए शोधार्थी ने अपने अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के लिए लाल बत्ती क्षेत्र कबाड़ी बाजार पुराना मेरठ के क्षेत्र में पहले से काम कर रहे मजदूर, यौन-कर्मियों के उनके नियमित ग्राहक, उनको रोजमर्रा के सामान पहुँचाने आने ठेले वाले, उस क्षेत्र मैं काम कर रहे चाय वाले, उस क्षेत्र के दुकानदार, आदियों के साथ ओपन एंडेड विचार-विमर्श, गहन साक्षात्कार और अपने उत्तरदाताओं के एकल अध्ययन के द्वारा तथ्य एकत्रित किये हैं। शोधार्थी ने वहां पर काम करने वाली यौन-कर्मियों, यौन-कर्मियों के दलाल और कोठों की मालकिनों के साथ सहभागी अवलोकन के माध्यम से लगातार एकत्रित तथ्यों की जांच की है, और इसी के साथ शोधार्थी अपने बुनियादी उत्तरदाताओं के साथ लगातार संपर्क में रहा है, जिससे अध्ययन से सम्बन्धित सही तथ्य प्राप्त किये जा सकें।

इसी के साथ शोधार्थी ने लिखित प्राथमिक तथ्यों की जानकारी जैसे– जनसंख्या गणना, जातीय गणना, श्रम में भागीदारी, लिंग अनुपात, धार्मिक संरचना, साक्षरता दर आदि जिनका उपयोग अपने शोध अध्ययन में किया है, के लिये लिखित प्राथमिक तथ्य जैसे-भारत की जनगणना, सरकारी विवरण, सरकार की नीति रिपोर्ट्स, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आदियों का प्रयोग किया है। इसी के साथ शोधार्थी ने द्वितीयक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए अकादमी लिखित किताबें, लेख, गैर सरकारी संस्थाओं के विवरण व् रिपोर्ट्स, मेरठ शहर के स्थानीय समाचार पत्रों, मेरठ शहर के स्थानीय पुस्तकालय, दस्तावेज़ी फिल्म, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली आदि से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की है। इसी के साथ शोधार्थी ने शोध अध्ययन के अंतर्गत जिन महिला यौन-कर्मियों, कोठों की मालकिनों, दलालों, कोठों के वास्तविक नामों, तथा अन्य कोई भी ऐसे तथ्य जो कि महिला यौन कार्य से जुड़े हुए हैं और उनसे उनकी वास्तविक पहचान हो सकती है तो उनके असली (वास्तविक नाम) बदल कर लिखे गए हैं। ताकि भविष्य में कभी भी उत्तराताओं को किसी भी प्रकार की क्षति का पहुंचे।

निष्कर्ष

तथ्यों के अनुसार कबाड़ी बाजार क्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य कर रही महिलाओं के पास अपना कोई मकान नहीं है जिसमें कि वह अपना जीवन व्यतीत कर सकें, इन यौन-कर्मियों के बच्चों का जीवन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा के अभाव में बीत रहा है, इनके पास जीवन यापन करने के कोई भी मुलभुत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु हमारे देश के कानून और नागरिक अधिकारों के अनुसार वेश्यालय आधारित महिला यौन कर्मीयों के बच्चों का दैनिक जीवन, सम्पत्ति रखने का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, समानता का अधिकार, रोटी, कपडा, मकान, शिक्षा, और स्वास्थ्य, का अधिकार और सुविधाऐ भारत में महिला यौन-कर्मियों से संबंधित कानून को भारत का संविधान 1950, भारतीय दंड संहिता 1860 एवं The Immoral Traffic (Prevention) Act 1956, में ढूँढा जा सकता हैं। भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए प्रत्येक नागरिक को समानता के प्रावधानों एवं संगठित होने की स्वतंत्रता के प्रावधानों, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों के साथ-साथ मानव तस्करी एवं जबरन मजदूरी को निषेधात्मक मानता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) के अंतर्गत ईकाई-IV के तहत सभी राज्यों को अपनी नीतियाँ पुरूष एवं महिलाओं अर्थात राज्य के सभी नागरिकों को जीवनयापन के समान अधिकारों की प्राप्ति के लिए निर्देशित करना चाहिए। इसी ईकाई में राज्य को यह भी निर्दश दिया गया है कि देश के सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य और बल का दुरूपयोग न किया जाए तथा देश के सभी नागरिकों को उनकी आयु और क्षमता से अधिक के श्रम में प्रवेश करने से रोका जाए। जिसका असर मेरठ के वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत महिला यौन-कर्मियों में देखने को नहीं मिलती हैं। अनुसन्धान के समय प्रकार यहाँ पर इन महिला यौन-कर्मियों का नागरिक जीवन मानव जीवन की आधारभूत सुविशाओं से वंचित पाया गया हैं।

इसी के साथ राज्य का यह दायित्व है कि वह समाज के सभी कमजोर तबकों की शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा, सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों को जरूरी सम्मान प्रदान करना, सभी नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करना एवं नागरिकों द्वारा महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध कामों को रोकना भी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के प्रथम इकाई का हिस्सा हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी इस बात पर बल दिया है कि यह सभी कर्तव्य राज्यों को भारतीय संविधान के द्वारा सौंपे गए हैं, और इसी से मिलते अधिकारों का जिम्मा महिला यौन कर्मोयों सहित सभी नागरिकों पर है। किन्तु राज्य के द्वारा मेरठ के कबाड़ी बाज़ार क्षेत्र में कार्यरत यौन कर्मी महिलाओं को राज्य से कंडोम वितरण, HIV-संक्रमण जाँच, और यौन रोगों की जाँच के सिवा कोई सहायता नहीं मिल रही हैं। उनके दैनिक जीवन की कठिनाई, बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य, गरिमामय जीवन, यौन कार्य की सुरक्षा, यौन कर्मी और उसके प्रति लोगों का सम्मान कहीं भी देखने को मिलता है, यहाँ पर कार्यरत अन्य व्यक्ति इन यौन कर्मी महिलायों के विषय में बात करना भी पसंद नहीं करते है तब इन महिलाओं का विकास कैसे होगा, किस प्रकार यह समाज की मुख्यधारा आ सकेयेंगी?

संदर्भ सूची

1. तस्वीरों की जुबानी, भारत के टॉप 5 रेडलाइट एरिया की कहानी, Available at: https://www.bhaskar.com/article/NAT-top-5-red-light-area-in-india-3423682.html?prev=y&img=2012/06/16/218.jpg&seq=2&imgname=218.jpg#photo_bm, accessed on 10 March 2021.
2. Panday, J.N. Constitution of India, Allahabad: Central Law Agency, 2003.
3. Sex workers' rights. From Wikipedia, the free encyclopedia, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_workers%27_rights, accessed on 20th june 2017.
4. Ibid
5. Ibid
6. Ibid
7. D' Cunha Jean. "Prostitution Laws: Ideological Dimensions and Enforcement Practices", Economic and

Political Weekly, Volume 27, no. 17, 25 April 1992, pp: WS34-WS35. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4397796.pdf?refreqid=excelsior%3A06b9e1cf1686c572e05175a3818a8e9e, accessed on 14th may 2017.
8. Frances M. Shaver. "Prostitution: A Critical Analysis of Three Policy Approaches", Canadian Public Policy, Volume-11, no. 3, September 1985, pp: 493-94. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3550504.pdf?refreqid=excelsior%3Abf630d997a842aba07313b9c74d9d050, accessed on 10th May 2017.
9. D' Cunha Jean. "Prostitution Laws: Ideological Dimensions and Enforcement Practices", Economic and Political Weekly, Volume 27, no. 17, 25 April 1992, pp: WS34-WS35. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4397796.pdf?refreqid=excelsior%3A06b9e1cf1686c572e05175a3818a8e9e, accessed on 14th may 2017.
10. Frances M. Shaver. "Prostitution: A Critical Analysis of Three Policy Approaches", Canadian Public Policy, Volume-11, no. 3, September 1985, pp: 493-94. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3550504.pdf?refreqid=excelsior%3Abf630d997a842aba07313b9c74d9d050, accessed on 10th May 2017.
11. D' Cunha Jean. "Prostitution Laws: Ideological Dimensions and Enforcement Practices", Economic and Political Weekly, Volume 27, no. 17, 25 April 1992, pp: WS39 – WS42. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4397796.pdf?refreqid=excelsior%3A06b9e1cf1686c572e05175a3818a8e9e, accessed on 14th may 2017.
12. Frances M. Shaver. "Prostitution: A Critical Analysis of Three Policy Approaches", Canadian Public Policy, Volume-11, no. 3, September 1985, pp: 493-94. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/3550504.pdf?refreqid=excelsior%3Abf630d997a842aba07313b9c74d9d050, accessed on 10th May 2017.
13. D' Cunha Jean. "Prostitution Laws: Ideological Dimensions and Enforcement Practices", Economic and Political Weekly, Volume 27, no. 17, 25 April 1992, pp: WS42 – WS44. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4397796.pdf?refreqid=excelsior%3A06b9e1cf1686c572e05175a3818a8e9e, accessed on 14th may 2017.
14. Geetanjali Gangoli. "Prostitution, Legalisation and Decriminalisation: Recent Debates", Economic and Political Weekly, Volume 33, no. 10, 07-13March 1998, p: 504. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4406490.pdf?refreqid=search%3A214a5ad0a91240642e17349ffc98bb31, accessed on 14th May 2017.
15. Ibid.
16. Kotishwaran Prabha, "Preparing for Civil Disobedience: Indian Sex Workers and the Law", Boston College Third Word Journal, Volume 21, Issue 2, Article 1, 2001, p: 188.
17. Available at: http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=twlj, accessed on 12th March 2016.
18. Ibid
19. Frances M. Shaver. "Prostitution: A Critical Analysis of Three Policy Approaches", Canadian Public Policy, Volume 11, no. 3, September 1985, pp: 493-95.
20. D' Cunha Jean. "Prostitution Laws: Ideological Dimensions and Enforcement Practices", Economic and Political Weekly, Volume 27, no. 17, 25 April 1992, pp: WS34-WS35. Available at: http://www.jstor.org/stable/pdf/4397796.pdf?refreqid=excelsior%3A06b9e1cf1686c572e05175a3818a8e9e, accessed on 14th may 2017.
21. Raymond G. Janice. "Prostitution on Demand: Legalizing Buyers as Sexual Consumers", Violence Against Women, Volume 10, no. 10, October 2004, pp: 1162-1163. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.319.1534&rep=rep1&type=pdf, accessed on 14th may 2017.
22. Ibid: 1162-65.
23. Panday, J.N. Constitution of India Allahabad: Central Law Agency, 2003, pp: 78-195.
24. Ibid: 269-273.
25. Ministry of Law and Justics, Government of India, The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007. Article 14, Article 15, Part III, pp: 197-200. Available at: http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf, Accessed on 14th June 2017.
26. सोनिया, सावित्री, कल्पना, अनुराधा, कोमल, बबिता... का मानना है कि उनका शोषण हर समय होता है और सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती है जिससे कि उनके श्रम में होने वाला शोषण समाप्त हो जाए।
27. कनिका, सुन्दरी, कविता, अनीता, अमिता, सुनीता, शिप्रा... आदि का मानना है कि यह काम एक ऐसा बंद वर्ग है जिसमें शामिल होने के बाद कभी भी कोई
28. Wad and Jadhav (2008) "The Legal framework of Prostitution in India" in Sahni Rohini, V.Kalyan Sankar (et.al). Prostitution and Beyond-An Analysis of the Sex Work in India. New Delhi: Sage Publications Ltd. 2008, pp: 207-220.
29. Sanders and O'Neill (et all), "Sex Workers, Labour Rights and Unionization" in Sanders Teela, Maggie O'Neill and Jane Pitcher. Prostitution Sex Work, Policy and Politics. New Delhi: Sage Publication, 2009, pp: 94-110.
30. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Regional Office for the Western Pacific, STI/HIV, Sex Workers in ASIA, July, 2001, pp: 27-28.
31. Ibid
32. अनुराधा, पुनम, कविता, दीपिका, कुसुम, अर्चना... आदि महिला यौन कर्मी जो कि कबाड़ी बाजार कबाड़ी बाज़ारक्षेत्र में यौन कार्य कर रही हैं का मानना है कि ट्रक ड्राइवर, सेना के लोग, सरकारी नौकरी वाले और मजदूर वर्ग के लोग अधिक संख्या में हमारे पास यौन सेवाएं प्राप्त करने के लिए आते हैं और उनके दबाब और लालच में आकर हम असुरक्षित यौन संबंध बना लेते हैं और बाद में हमको यौन संक्रमण हो जाता है।
33. Government of India. "Report on Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganised Sector", New Delhi: National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector, August 2007, pp: 69-70, in Rohini Sahni and V. Kalyan Shankar, Sex Work and its Linkages with Informal Labour Markets in India: Findings from the First Pan-India Survey of Female Sex Workers, Institute of Development Studies (IDS) Working Paper, Volume 2013, No. 416, p: 21. Available at: http://www.sangram.org/resources/ids_working_paper.pdf, accessed on 12th June 2016.
34. Ibid

35. अर्चना, रानी, अंशु, रानी, नीलम, सीमा, शशि, बिमला... आदि महिला यौन कर्मी जो कबाड़ी बाजार कबाड़ी बाज़ारक्षेत्र में वैश्यालय आधारित कोठों पर योंन कार्य कर रही हैं का मानना है कि हम यौन कार्य करके कमाई तो अधिक कर लेते हैं किन्तु हमारी कमाई का अधिकतर हिस्सा उन लोगों में बंट जाता है जो कि इस कार्य से जुड़े हुए हैं और उसके बाद हमारे पास जो कमाई बचती है वह किसी भी मजदूर की मजदूरी से बहुत कम होती है ।
36. नेहा, ट्विंकल, करीना, पूजा, आरती ज्योति, आरती, मीना... आदि महिला यौन कर्मी मेरठ के कबाड़ी बाजार कबाड़ी बाज़ारक्षेत्र में वेश्यालय आधारित कोठों पर कार्यरत हैं और वह यह दलील देती हैं कि जिस प्रकार सभी अपना काम करते हैं उसी प्रकार हम भी अपना काम करते हैं इसलिए हमको भी सरकार से यह काम करने की कानूनन वैध मान्यता मिलनी चाहिए ताकि हम भी अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक कर सकें I
37. Millett, Kate. The Prostitution Papers: A candid dialogue, Granada Publilishing Limited by Paladin Books, Frogmore, U.S.A. United State of America: Basic Books, Inc. 1971, 1975, pp: 72-80.
38. Pateman Carole, "Defending Prostitution: Charges
39. Against Ericsson, Ethics, Volume 93, no. 3, April 1983, pp: 561 – 62, Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/2380632.pdf?refreqid=excelsior%3A6b7a80fabf82ffe3909e3546e3427000, accessed on 10th March 2017.
40. Ibid.
41. गंगा, ज्ञानो, सुनीता, सुन्दरी, गोपिका, मीना, मंजू, सुमन, संतोष, रजनी... आदि महिला यौन कर्मी शारदा बाई, नूरजहाँ बाई... आदि कोठे की दल्लन जो कि मेरठ के कबाड़ी बाजार कबाड़ी बाज़ारक्षेत्र में स्थित वेश्यालय आधारित कोठों पर यौन कार्य में कार्यरत हैं इन महिलाओं का यह मानना है कि यदि इस समाज में हमारी जरुरत नहीं होती तो यह कोठे कब के बंद हो गए होते किन्तु यदि यह आज भी चल रहे हैं तब इससे यही सावित होता है कि इस समाज में हमारी जरुरत है और यह हमेशा रहेगी I
42. Shrage, Laurie. "Should Feminists Oppose Prostitution?" Ethics, Volume 99, no. 2, January 1989, pp: 356 – 57. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/2381438.pdf?refreqid=search%3A49a594ac6736e3f981836fc0ede054db, accessed on 20th April 2017.
43. Overall Christine. "What's Wrong with Prostitution? Evaluating Sex Work", Signs, Volume 17, no. 4 Summer 1992, pp: 707 – 11. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/3174532.pdf?refreqid=search%3Ad227688e04e961e9d95ea86f426b01a9, accessed on 12th April 2017.
44. Iyer Karen Peterson. "Prostitution: A Feminist Ethical Analysis", Journal of Feminist Studies in Religion, Volume – 14, no. 2 (Fall, 1998), p: 37 – 38. Available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/25002334.pdf?refreqid=excelsior:6fe677404b6c605ca5a641765d55bdc2, Accessed on 12th june 2017.
45. सिंह वीरेन्द्र (प्रमुख सम्पादक). भारतीय गजेटियर उत्तर प्रदेश जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश शासन जिला गजेटियर विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1994।
46. Ministry of Law and Justics, Government of India, The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007. Article 14, Article 15, Part III, pp: 6-7. Available at: http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf, Accessed on 14th June 2017.
47. Ministry of Law and Justics, Government of India, The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007. Article 19 (1), p: 9.
48. Ministry of Law and Justics, Government of India, The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007. Article 21, pp: 10-11.
49. Ministry of Law and Justics, Government of India, The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007. Article 23, pp: 13.
50. Ministry of Law and Justics, Government of India, The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007. Article 39 (a), pp: 21-22.
51. Ministry of Law and Justics, Government of India, The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007. Article 39 (e), pp: 22.
52. Ministry of Law and Justics, Government of India, The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007. Article 46, pp: 23.
53. Ministry of Law and Justics, Government of India, The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007. Article 47, pp: 23.
54. Ibid
55. Ministry of Law and Justics, Government of India, The Constitution of India: A modified up to the 1st December 2007. Article 51 A (e), pp: 25.
56. Swamy, P.N. "Labour Liberation Front, Mahaboobnagar vs. Station House Officer, Hyderabad and Others", The High Court of Andhra Pradesh, Hyderabad, WP No. 5736 of 1997, 22 August 1997, pp: 04-16.